रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222509
SG-DL-E-16102020-222509

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 169
No. 222]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942	[N. C. T. D. No. 169

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

सं. फा. डीसी/ऑप्स/टीपीटी/2020/75/59849.—जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप दिनांक 10.10.2020 की अधिसूचना सं. फ़ा. डीसी/ऑप्स/टीपीटी/2020/75/57917 के अनुसार दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में, जिस तिथि को उक्त अधिसूचना वाला दिल्ली के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, उस तिथि से तीन दिन की अवधि बीतने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 10 अक्तूबर, 2020 को उपलब्ध कराई गईं थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में जनता से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः इसलिए केंद्र सरकार द्वारा की गयी अधिसूचना दिनांक 21/03/2017, जीएसआर 271 (ई), खंड 2 (i) जो भारत सरकार के राजपत्र भाग–II, खण्ड 3 (i) में प्रकाशित हुई थी के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 1989 के नियम 81 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली मोटर वाहन नियमों, 1993 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :–

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	1	1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।
		2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
नया नियम 37 ए अन्तःस्थापित	2	1) दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 में नियम 37 के बाद निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :–
नियम 37 ए		2) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के स्तम्भ 3 में क्रम संख्या 4 पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क, बैटरी चलित वाहनों जैसा कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में परिभाषित है, पर लागू नहीं होगा।
		3) इन नियमों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 की फीस तालिका में क्रमशः क्रमांक 6,7 और 11 में निर्दिष्ट मोटर वाहनों के लिए स्वामित्व के हस्तांतरण में देरी, निवास स्थान में परिवर्तन तथा फिटनेस के प्रमाणपत्र के अनुदान या नवीनीकरण में देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क के लिए किसी व्यक्ति या किसी वर्ग के व्यक्ति को छूट देने का आदेश आयुक्त द्वारा दिया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

के. के. दहिया, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th October, 2020

F. No. DC/OPS/TPT/2020/75/59849.—Whereas the draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988), vide Notification No.F.DC/OPS/TPT/2020/75/57917 dated 10-10-2020 in the Delhi Gazette, Part-IV, Extra-ordinary inviting objects and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of three days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing the said notification were made available to public.

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 10th October, 2020.

And whereas, no objection and suggestion have been received from the public in respect of the said draft rules.

Now therefore, in exercise of powers given under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by Central Government vide notification dated 21st March 2017, G.S.R 271(E), clause 2(i) published in gazette of Part-II, section 3 (i), the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 are hereby made, namely :-

Rules

Short Title and Commencement	**1**	(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2020.
		(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.

Insertion of new Rule 37A	**2**	(1)	In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 after Rule 37, following shall be inserted namely :
Rule 37 A		(2)	The Registration fee prescribed at Serial No.4 in the Column 3 of the Table given in Rule 81 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not be applicable on Battery Operated Vehicles as defined in Central Motor Vehicles Rules, 1989.
		(3)	Notwithstanding anything contained in these rules, the Commissioner may by order exempt a person or a class of persons from the payment of additional fee for delay in transfer of ownership, change of residence and delay in grant or renewal of certificate of fitness for a motor vehicle as specified in the table of fees in Rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, at Serial No. 6, 7 and 11 respectively.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
K.K. DAHIYA, Spl. Secy. (Transport)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.10.16 19:30:32 +05'30'